राहुल गांधी ने चुनाव सुधार पर सरकार को घेरा

विपक्ष ने लोकतंत्र और वोट अधिकार पर चिंता जताई

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर. संसद भवन परिसर में मंगलवार को विपक्षी दलों ने एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन किया.

इस प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, द्रमुक के टी आर बालू सहित दोनों सदनों के कई प्रमुख सांसद शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नारेबाजी की. प्रियंका गांधी ने भी संचार साथी ऐप को जासूसी का माध्यम बताते हुए सरकार पर कड़ा हमला किया. वहीं, मल्लिकार्जुन खरगे ने नेशनल हेराल्ड मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को कुछ नहीं मिलने पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पुराने मामलों में नई प्राथमिकी दर्ज कराई गई. विपक्ष ने एसआईआर और लोकतंत्र पर

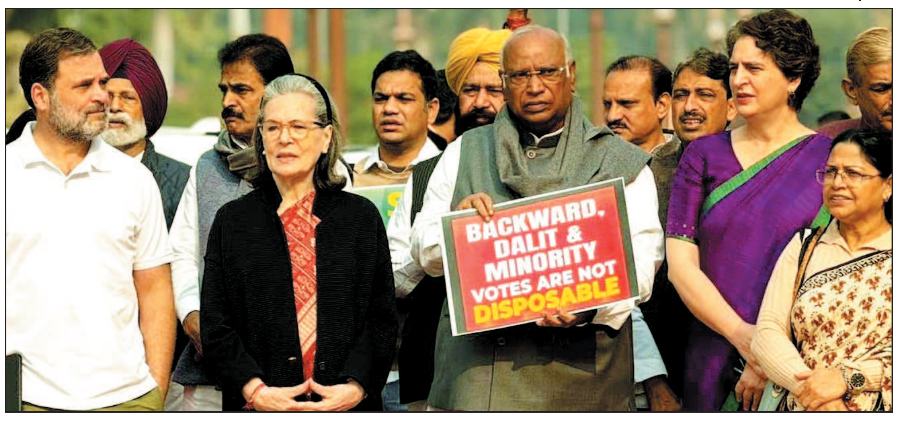

बढ़ते खतरे को लेकर चिंता जताई. भवन के मकर द्वार के बाहर विपक्षी दलों ने एसआईआर के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे कई प्रमुख सांसद इस प्रदर्शन में शामिल हुए. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उपनेता गौरव गोगोई, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य नेताओं ने भी हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नारेबाजी की. विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने संसद की कार्यवाही शुरु होने से पहले यहां भवन परिसर के मकर द्वार के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया.

प्रियंका ने संचार साथी ऐप पर हमला बोला

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संचार साथी ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड करने को हास्यास्पद बताते हुए आरोप लगाया कि यह जासूसी ऐप है जिसके जरिए सरकार हर मोबाइल पर नजर रखना चाहती है. प्रियंका वाड्रा ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों के मोबाइल हैंडसेट पर संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल करने संबंधी सवाल पर कहा कि संचार साथी एक जासूसी ऐप है और यह हास्यास्पद है. नागरिकों को निजता का अधिकार है और सभी को निजता का अधिकार होना चाहिए.

खरगे ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर घेरा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया है कि नेशनल हेराल्ड मामले में उनकी पार्टी को निशाना बनाने के लिए जब भाजपा सरकार को कुछ नही मिला तो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ साजिश के तहत पुराने मामले में नयी प्राथमिकी दायर की गई है. श्री खरगे ने एक्स पर पोस्ट में कहा 12 साल बाद अचानक गांधी परिवार पर कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाने वाले पुराने मामले में एक नयी प्राथमिकी दर्ज की गई. यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मोदी सरकार और ईडी के पास नए आरोपों का भंडार खत्म हो गया.

इमरान से मिलीं बहन, कहा- उन्हें मानसिक प्रताड़ना दे रहे

इस्लामाबाद, 2 दिसंबर. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन उज्मा खान ने मंगलवार को रावलपिंडी की अडियाला जेल में उनसे मुलाकात की.

जेल से बाहर आकर उज्मा ने आरोप लगाया कि भाई इमरान पूरी तरह ठीक हैं. दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई. बता दें महीनों से इमरान खान से परिवार की किसी भी सदस्य को मिलने नहीं दिया जा रहा था. उनकी सेहत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे. कहीं वे गंभीर रूप से बीमार तो नहीं, कहीं जेल प्रशासन कोई जानकारी छिपा तो नहीं रहा.

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित

कार्यालय महाप्रबंधक (सं./नि.) 3, पोलोग्राउण्ड, इंदौर (म.प्र.)

क्र.: लउनि /निर्माण /सं/नि/इन्दौर/2025/1800 दिनांक : 02.12.2025

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्न कार्यों की निविदा ई-टेण्डरिंग पद्धति से वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की जाती है :-

(1) औद्योगिक क्षेत्र ग्राम रायन, पीथमपुर, जिला धार में सी.सी. सड़क, ह्यूम पाइप कल्वर्ट एवं आर.सी.सी. सतही नाली निर्माण कार्य, लागत राशि रु. 649.99 लाख।

(2) औद्योगिक क्षेत्र ग्राम कालूखेड़ी, जिला देवास में सी.सी. सड़क, ह्यूम पाइप कल्वर्ट एवं आर.सी.सी. सतही नाली निर्माण कार्य लागत राशि रु. 1162.45 लाख।

(3) औद्योगिक क्षेत्र ग्राम सतपायरी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर में सी.सी. सड़क, ह्यूम पाइप कल्वर्ट एवं आर.सी.सी. सतही नाली निर्माण कार्य, लागत राशि रु. 1575.31 लाख।

(4) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धार में बाउण्ड्रीवाल, चौकीदार क्वार्टर, पार्किंग शेड एवं नलकूप खनन कार्य, लागत राशि रु. 43.34 लाख।

(5) औद्योगिक क्षेत्र मक्सी रोड, जिला उज्जैन में स्ट्रीट लाइट एवं प्लान्टेशन मय ट्री गार्ड कार्य, लागत राशि रु. 115.64 लाख।

निविदा की समस्त जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है। यदि निविदा में कोई संशोधन व परिवर्तन किया जाता है तो उसे उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है, इसे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा। बिना कोई कारण बताये निविदा स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है।

म.प्र. माध्यम/123309/2025 महाप्रबंधक (सं./नि.)

बम की धमकी के बाद विमान डायवर्ट, नहीं मिला विस्फोटक

मुंबई, 2 दिसंबर. कुवैत से हैदराबाद आ रहे इंडिगो के एक विमान को मंगलवार सुबह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) पर उस समय आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी जब अधिकारियों को बम होने की गंभीर धमकी मिली.

सुरक्षाकर्मी विमान के उतरते ही तुरंत उसे अलग स्थान पर ले गये और उसकी गहन जाँच की. विमान में बम होने की चेतावनी देने वाला यह संदेश ईमेल के जरिये भेजा गया था, जिसके बाद हैदराबाद और मुंबई दोनों हवाई अड्डों पर सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरह से आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू कर दिया. विमान में कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला और कड़ी जांच के बाद इस धमकी को

महज अफवाह घोषित कर दिया गया. इंडिगो ने आज एक बयान जारी कर पुष्टि की कि कुवैत और हैदराबाद के बीच उड़ान भरने वाली उसकी उड़ान 6ई1234 को सुरक्षा संबंधी धमकी मिलने के बाद दो दिसंबर, 2025 को मुंबई डायवर्ट कर दिया गया था. एयरलाइन ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया कि विमान को आगे की यात्रा के लिए मंजूरी देने से पहले स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक सुरक्षा जाँच करने में पूरा सहयोग कर रही है.

नेहरू बाबरी निर्माण चाहते थे : राजनाथ

नेहरू-पटेल विवाद पर रक्षा मंत्री का बड़ा दावा

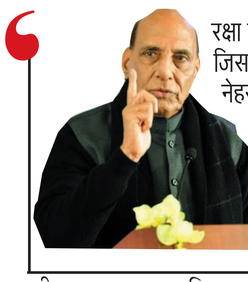

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को 'यूनिटी मार्च' कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा दावा किया जिसने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी. उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए सरकारी धन का उपयोग करने का सुझाव दिया था, जिसे तत्कालीन गृह एवं उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया. राजनाथ के अनुसार, यह घटना उस दौर में दोनों नेताओं के राजनीतिक दृष्टिकोण में मौजूद गहरे मतभेदों को दर्शाती है. राजनाथ सिंह ने कहा कि पटेल 'सच्चे अर्थों में निष्पक्ष और राष्ट्रहित सर्वोपरि मानने वाले नेता थे', जबकि नेहरू कई मुद्दों पर तुष्टिकरण की राह अपनाते दिखे.

सडली, 2 दिसंबर. गुजरात के सडली गांव में आयोजित 'यूनिटी मार्च' कार्यक्रम में मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा दावा किया जिसने देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है.

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी धन से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाने का सुझाव दिया था, लेकिन तत्कालीन उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने इसे सख्ती से रोक दिया. राजनाथ सिंह के अनुसार, यह मतभेद सिर्फ एक धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं था, बल्कि उस दौर की नेतृत्व शैली, राजनीतिक प्राथमिकताओं और 'धर्मनिरपेक्षता की अलग-अलग परिभाषाओं' का प्रतीक था. कार्यक्रम के दौरान सिंह ने नेहरू-पटेल संबंधों से जुड़े कई दावे किए—चाहे वह सोमनाथ मंदिर निर्माण की कहानी हो, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हो या फिर राष्ट्रीय स्मारकों के प्रति नेहरू का रुख. राजनाथ ने कहा कि सालों तक पटेल की विरासत को दबाने की कोशिश की गई और प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर उसका सम्मान बहाल किया. जैसे ही उनके ये बयान सामने आए, देशभर में राजनीतिक चर्चाएं तेज़ हो गई.

वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड (CIN No. U65999RJ2017PLC059619)

WONDER HOME FINANCE Zindagi Ki Perfect Shuruaat

कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोन: 0141- 4750000

परिशिष्ट IV [देखें नियम 8(1)] कब्जा नोटिस

जबकि, अद्योहस्ताक्षरकर्ता **वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" (2002 का 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 13(12) का सपठित नियमों के नियम 3 के तहत प्रदत शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमितकर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर / ऋण खाता संख्या	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	स्थावर सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
(ऋण खाता संख्या) LN20041HE22-23008604 & LN20041HC21-22005032, श्र कृपाल गुर्जर पुत्र श्री मान सिंह गुर्जर (ऋणी), श्रीमती सीमा बाईगुर्जर (सहऋणी)	15-09-2025 Rs. 4,09,290.08 चार लाख नौ हजार दो सौ नब्बे रूपये एवं आठ पैसे मात्र एवं Rs. 12,82,509.64 बारह लाख बयासी हजार पांच सौ नौ रूपये एवं चौसठ पैसे मात्र 08-09-2025 तक	श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री मान सिंह गुर्जर की रिहायशी आवासीय संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित मकान नं. 424 पीएच नं. 05 भूमि सर्वे नं. 494, ग्राम उपडी, ग्राम पंचायत लसुडिया कुलमी, तहसील टोंक खुर्द, जिला देवास, मप्र 455116, क्षेत्रफल 3136.00 वर्गफीट पूर्वः प्रेम सिंह पुत्र गणपत , पश्चिमः रोड, उत्तरः अर्जुन गुर्जर पुत्र मान सिंह गुर्जर, दक्षिणः रोड	28-11-2025
(ऋण खाता संख्या) LN20041HC22-23007711 & LN20041HE21-22006540, श्री भंवर लाल पुत्र श्री मांगी लाल (ऋणी), श्रीमती सोराम बाई पत्नी श्री भंवर लाल (सहऋणी)	15-09-2025 Rs. 7,87,576/- सात लाख सतासी हजार पांच सौ छिहत्तर रूपये मात्र एवं Rs. 18,38,220/- अठारह लाख अडतीस हजार दो सौ बीस रूपये मात्र 08-09-2025 तक	श्री भंवर लाल पुत्र श्री मांगी लाल एवं श्रीमती सोराम बाई पत्नी श्री भंवर लाल की रिहायशी आवासीय संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित पीएच नं. 85, भूमि सर्वे नं. 259/3 का भाग, ग्राम एवं ग्राम पंचायत रायपुरा, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मप्र 456550, क्षेत्रफल 4575 वर्गफीट, पूर्वः रोड, पश्चिमः मांगी लाल विक्रेता की शेष भूमि, उत्तरः मांगी लाल विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिणः मांगी लाल विक्रेता की शेष भूमि	28-11-2025

ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती हैं कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ग्रहण कर लिया है। ऋणियों का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8)के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है। ऋणियों को विशिष्टतया और सर्व साधारण को सामान्यतया एतद द्वारा सम्पत्तियों के साथ काई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती हैं और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक ''**वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड**''के प्रभार के अधीन होगा।

दिनांकः 02.12.2025 स्थानः इन्दौर, मप्र प्राधिकृत अधिकारी वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

प्रदूषण के लिए किसान अकेले दोषी नहीं

न्यायालय ने केंद्र को प्रदूषण रोकथाम रिपोर्ट देने को कहा

नई दिल्ली, 2 दिसंबर. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण के संकट के लिए किसानों को अकेला जिम्मेदार ठहराने की बढ़ती प्रवृत्ति पर सवाल उठाया.

न्यायालय ने कहा कि पराली जलाना कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी मौजूद था, जबकि राजधानी में उस समय असाधारण रूप से साफ आसमान देखा गया था. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य

बागची की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर लंबे समय से लंबित एमसी मेहता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पराली जलाने के आसपास की कहानी को एक राजनीतिक मुद्दा या अहंकार का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए. पीठ ने दोहराया कि दिल्ली की जहरीली हवा के कई स्रोत हैं. मुख्य न्यायाधीश ने प्रदूषण के प्राथमिक योगदानकर्ताओं की पहचान करने वाले वैज्ञानिक विश्लेषणों पर स्पष्टता की मांग की. उन्होंने कहा कि जहाँ पराली जलाने को लगातार उजागर किया जाता है, वहीं उन लोगों पर बोझ डालना गलत होगा जिनका न्यायालय में शायद ही कोई प्रतिनिधित्व हो.

NAME CHANGE

I, FATIMA W/O SHAFAKAT HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME TO **FATEMA BOHRA W/O SHAFAKAT** HENCEFORTH, I SHALL BE KNOWN AS **FATEMA BOHRA W/O SHAFAKAT** FOR ALL FUTURE PURPOSES.

ADDRESS : BOHRA MOHALLA, SUWASRA, MADHYA PRADESH 458888.

राशि अली की कस्टडी बढ़ी

लाल किला ब्लास्ट केसः एनआईए कोर्ट में हुई सुनवाई

नई दिल्ली, 2 दिसंबर. दिल्ली ब्लास्ट 2025 स्पेशल एनआईए कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट केस में आमिर राशिद अली की कस्टडी सात दिन और बढ़ा दी है. उसे सात दिन की एनआईए कस्टडी के बाद कोर्ट में पेश किया गया.

पुलिस के अनुसार, पहले उसे 10 दिन की कस्टडी में भेजा गया था. उसे 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले एनआईए ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बंद कोर्ट रूम में आमिर को पेश कर तर्क दिया था कि आरोपी से साजिश, नेटवर्क, फंडिंग और अन्य सह-साजिशकर्ताओं की पहचान को लेकर विस्तृत पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत आवश्यक है. एनआईए ने दलील दी थी कि आमिर ने आत्मघाती हमलावर डॉ.

उमर के लिए एक सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराया था.

सार्वजनिक नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 375 इक्विटी शेयर जिनका प्रमाणपत्र संख्या 3111049 और विशिष्ट संख्या 447441331 - 447441705 अंकित मूल्य 02/- प्रत्येक फोलियो संख्या GRA0339712 के अंतर्गत है और जो उषा शरद वेंगुर्लेकर के नाम पर हैं, खो गए हैं या गुम हो गए हैं और अधोहस्ताक्षरी ने कंपनी से उक्त शेयरों के लिए डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने हेतु आवेदन किया है।

उक्त शेयरों के संबंध में किसी भी व्यक्ति का कोई दावा हो, तो उसे इस तिथि से एक महीने के भीतर हमारे रजिस्ट्रार, KFIN टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाची बोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना - 500032 को लिखना चाहिए, अन्यथा कंपनी डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने की कार्यवाही करेगी।

योगेश शरद वेंगुर्लेकर
दावेदार का नाम

दिनांकः 02.12.2025
स्थानः नागदा, मध्य प्रदेश

पश्चिम मध्य रेल

ई - निविदा सूचना

खुली निविदा क्र.: WCR-CRWS-ILBOGIE-25-25R

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा अनुभवी ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती हैं। **कार्य का नाम :** ग्रिट ब्लास्टिंग क्लीनिंग एंड पेंटिंग ऑफ एलएचबी/आईसीएफ/मेमू बोगी, बोगी बोलस्टर एंड इट्स कम्पोनेंट्स एट सीआरडब्ल्यूएस, भोपाल। **कार्य की लागत :** रु. 9,88,43,726.40, **निविदा फॉर्म का मूल्य :** रु. 0.00, **धरोहर राशि:** रु. 6,44,300.00, **कार्य पूर्ण करने की अवधि :** 24 माह, **ऑनलाइन बिडिंग प्रारम्भ होने का दिनांक / ऑनलाइन निविदा बंद होने का दिनांक एवं समय :** 04.12.2025 / 18.12.2025 15.00 बजे तक, **निविदा खुलने का दिनांक एवं समय:** 18.12.2025 को 15.30 बजे, निविदा तथा निविदा प्रारूप की विस्तृत जानकारी भारत सरकार की वेब साइट "www.ireps.gov.in एवं निविदा सूचना मुख्य कारखाना प्रबन्धक, सडिपुका/भोपाल कार्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध है।

(हस्ता)
मुख्य कारखाना प्रबंधक
सडिपुका, निशातपुरा, पमरे, भोपाल

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय: प्लाट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्कीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर

ई-नीलामी की सूचना

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रुप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभावित है, का भौतिक कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है** के आधार पर निम्न ऋणियों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्रतिभूति लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा दिनांक 20.12.2025 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है।

क्रं.	ऋणी, जमानतदार एवं शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	बंधक संपत्तियों का विवरण	मांग पत्र दिनांक / बकाया राशि (₹)	आरक्षित मूल्य (₹) / धरोहर राशि (₹) / बिड वृद्धि राशि (₹)
1.	श्री दिनेश कुमार मीना शाखा: क्लॉथ मार्केट, मोबाईल: 83700 12016	**संपत्ति क्र. 1:** सर्वे नं. 960/मिन-21 का भाग, वार्ड नं. 05, स्टेशन रोड, ग्राम मक्सि, तहसील शाजापुर, **मालिक: श्री दिनेश कुमार मीना, क्षेत्रफल: 81.55 वर्गमीटर (877.50 वर्गफीट), चर्तु:सीमा: पूर्व:** विक्रेता की भूमि, **पश्चिम:** भेरुलाल का प्लाट, **उत्तर:** नारायण का प्लाट, **दक्षिण:** सड़क 15 फीट **संपत्ति क्र. 2:** सर्वे नं. 960/मिन-6/मिन-1/मिन-3 का भाग, वार्ड नं. 05, स्टेशन रोड, ग्राम मक्सि, तहसील शाजापुर, **मालिक: श्री दिनेश कुमार मीना, क्षेत्रफल: 90.61 वर्गमीटर (975 वर्गफीट), चर्तु:सीमा: पूर्व:** क्रेता का मकान, **पश्चिम:** सुरेन्दर दरबार का मकान, **उत्तर:** अजमेरी खान का मकान, **दक्षिण:** सड़क 15 फीट कुल क्षेत्रफल: 172.16 वर्गमीटर (1852.50 वर्गफीट)	24.06.2024 / 84,77,733.25/- + ब्याज एवं अन्य खर्च - उसके बाद की गई रिकवरी	79,90,000 / 7,99,000 / 50,000

(ऑनलाइन) ई-नीलामी दिनांक: 20.12.2025 , समय: प्रात: 10 से सायं 6 बजे तक

दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम दिनांक 20.12.2025 एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक व समय : 20.12.2025, सायं 5.30 बजे तक, ईएमडी को छोड़कर शेष बोली की राशि जमा करने के लिए बैंक खाते का विवरण: अकाउंट नं. : 3283786076, खाते का नाम: प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर, IFSC CODE: CBIN0280765

बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी **www.centralbank.co.in** और सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com** देखें। **क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर 9522273419** से संपर्क कर सकते है।

सिक्यूरीटाईजेशन एक्ट 2002 के अंतर्गत विक्रय हेतु 15 दिवसीय वैधानिक सूचना

सफल बोलीकर्ता को 15% राशि का भुगतान 24 घंटे के भीतर करना होगा।

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 03.12.2025 प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate

प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड़, बैंगलूर - 562002

क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर फोन: 0731-2573816

सूचना

(वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिहित प्रवर्तनअधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस (सरफेसी एक्ट)

केनरा बैंक की शाखाओं के माध्यम से प्राप्त किया गया ऋण जो कि एन. पी. ए. हो चुका है व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्न वर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्न वर्णित ऋणी/जमानतदार को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांक को पंजीकृत डाक पावती सहित द्वारा ऋणी/जमानतदार व सह ऋणी आप सभी को भेजी गई थी। निम्न वर्णित मांग सूचना दिनांक में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया है, कि आपके द्वारा सूचना मे दर्शाई राशि 60 दिनों के अंदर जमा नहीं कराई गई तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक संपत्ति जो कि निम्नलिखित ऋणी/ जमानतदार के नाम है, उसका आधिपत्य ले लिया जाएगा। बकाया राशि का उल्लेख निम्नानुसार है:

क्रं.	ऋणी/जमानतदार का नाम व पता	मांग सूचना दिनांक / बकाया राशि (₹)	अचल संपत्तियों का विवरण
	नंदा नगर शाखा, इन्दौर, मोबाईल: 94250 00374		
1.	**1. मेसर्स श्री श्याम क्रिएशन एण्ड होम डेकोर, प्रोप्रायटर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा,** डी-5, अरिहन्त कला, श्रीजी वैली, बिचोली मर्दाना, इन्दौर (म.प्र.) 452001, **2. श्रीमती मीनाक्षी शर्मा पति अमन शर्मा,** फ्लेट नं. 102, पहली मंजिल, अक्षत एवेन्यु, प्लाट नं. डी-1, श्रीजी वैली, बिचोली मर्दाना, इन्दौर (म.प्र.) 452001, **3. मेसर्स श्री श्याम क्रिएशन प्रोप्रायटर श्री अमन शर्मा,** मकवाणा कॉम्प्लेक्स, दुकान नं. 4-5, तल मंजिल, श्रीजी वैली, इन्दौर (म.प्र.) 452001, **4. श्री अमन शर्मा पिता कमल देव शर्मा,** 102, डी-1, गली नं. 4, श्रीजी वैली, बिचोली मर्दाना, इन्दौर (म.प्र.) 452001, **5. श्री सुजित सिंह राठौड पिता विश्वनाथ सिंह,** 11, मनभावन नगर, कनाड़िया रोड, इन्दौर (म.प्र.) 452016	मांग सूचना दिनांक 01.12.2025 बकाया राशि (₹) 35,74,648.47 + दिनांक 18.11.2025 से ब्याज एवं अन्य खर्च	फ्लेट नं. 102, पहली मंजिल, अक्षत एवेन्यु, प्लाट नं. डी-1, श्रीजी वैली, बिचोली मर्दाना, इन्दौर (म.प्र.) 452001, **क्षेत्रफल: 1070 वर्गफीट, मालिक: श्रीमती मीनाक्षी शर्मा पति अमन शर्मा, सीमाएं: उत्तर:** एमओएस उसके बाद प्लाट नं. डी-2, **दक्षिण:** फ्लेट नं. 101, **पूर्व:** कॉलोनी की सड़क, **पश्चिम:** लोबी फ्लेट नं. 103
	खण्डवा शाखा, मोबाईल: 85950 58017		
2.	**1. मेसर्स साई स्टोन क्रशर, प्रोप्रायटर श्रीमती रिजवाना अंसार,** नागचुन रोड, खण्डवा (म.प्र.) 452001, **2. श्रीमती रिजवाना अंसार पति मोहम्मद अंसार अहमद,** 140, वार्ड नं. 45, कृष्ण गोखले मार्ग, परदेशिपुरा, खण्डवा (म.प्र.) 452001, **3. मेसर्स सरकार बिल्डिंग मटेरियल्स, प्रोप्रायटर मोहम्मद अंसार अहमद,** परदेशिपुरा, खण्डवा (म.प्र.) 452001, **4. मोहम्मद अंसार अहमद पिता मोहम्मद निसार अहमद,** मकान नं. 45, परदेशिपुरा, वार्ड नं. 45, कृष्ण गोखले मार्ग, ईस्ट निमाड़, खण्डवा (म.प्र.) 452001, **5. मोहम्मद अंसार अहमद पिता मोहम्मद निसार अहमद,** सर्वे/खसरा नं. 15/2, पटवारी हल्का नं. 79, ग्राम नागचुम, ईस्ट निमाड़, खण्डवा (म.प्र.) 452001	मांग सूचना दिनांक 27.11.2025 बकाया राशि (₹) 31,11,471.44 + दिनांक 21.11.2025 से ब्याज एवं अन्य खर्च	सर्वे/खसरा नं. 15/2, पटवारी हल्का नं. 79, ग्राम नागचुम, ईस्ट निमाड़, खण्डवा (म.प्र.) 452001, **क्षेत्रफल: 4000 वर्गमीटर वर्गफीट, मालिक: मोहम्मद अंसार अहमद पिता मोहम्मद निसार अहमद, सीमाएं: उत्तर:** सर्वे/खसरा नं. 15/1, **दक्षिण:** सर्वे/खसरा नं. 17/1, **पूर्व:** सर्वे/खसरा नं. 13 एवं 14, **पश्चिम:** 20 फीट रोड उसकेबाद सर्वे/खसरा नं. 16

(1) उक्त मांग सूचना पत्र आपको डाक प्राधिकरण द्वारा **केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय** से भेजा गया था। आप नोटिस की कॉपी बैंक से प्राप्त कर सकते है ताकि आपको सूचना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाये। (2) आप सभी को सुझाव दिया जाता है कि मांग सूचना में दर्शाई गई बकाया राशि ब्याज एवं खर्च आदि सहित उपरोक्त मांग सूचना की दिनांक के **60 दिनों** के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत आगामी कार्यवाही से बच सकें।

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 03.12.2025 प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक, इन्दौर

आज का इतिहास

1776 मराठा साम्राज्य के महाराजा यशवंतराव होलकर का जन्म।

1796 बाजीराव द्वितीय को मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बनाया गया।

1829 वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई।

1882 आधुनिक भारतीय कला के प्रमुख चित्रकार नंदलाल बोस का जन्म।

इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

ई-नीलामी की दिनांक एवं समय: 20.12.2025 को दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक

परिशिष्ट - IV क (नियम 8(6) का प्रावधान देखें)

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

आम जनता को साधारणत: एवं निम्न वर्णित अचल संपत्तियों के ऋणियों एवं जमानतदारों को विशेषत: सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित संपत्तियाँ **इंडियन बैंक (सुरक्षित लेनदार)** के पास बंधक है तथा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित संपत्तियों का उसके सांकेतिक/भौतिक कब्जा ले लिया गया है। निम्नवर्णित संपत्तियों का विक्रय दिनांक 20.12.2025 को **इंडियन बैंक (सुरक्षित लेनदार)** के बकाया राशि को वसूल करने हेतु **''जैसा है जहां है, जो है जैसा है''** एवं **''जो कुछ भी है''** के आधार पर किया जा रहा है।

क्रं.	शाखा/ऋणी/ जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम	चल एवं अचल संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक का नाम	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक / बकाया राशि(₹)	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड वृद्धि राशि
	इंडियन बैंक देवास शाखा: 91, मोती बंगला, देवास (म.प्र.) 455001 EMD Submission A/c Details : Name of EMD A/c : The Authorised Officer, Indian Bank, A/c No. 50375227581, IFSC IDIB000I525			
1.	श्री आशीष वैद्य पिता कृष्णा चंद्र वैद्य (ऋणी)	संपत्ति के सभी प्रमुख अंग शासमीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित देवसा पर निर्मित रहवासी संपत्ति, प्लाट नं. 369, अलकापुरी, देवास, **मालिक: श्री आशीष वैद्य, क्षेत्रफल: 96 वर्गमीटर, चर्तु:सीमा: उत्तर:** सड़क, **दक्षिण:** मकान नं. 370, **पूर्व:** मकान नं. 368, **पश्चिम:** सड़क, **संपत्ति आईडी: IDIB30666037940**	10/03/2025 / 26/05/2025 / 34,99,454/- +ब्याज एवं अन्य खर्चें	₹ 36,00,000 / ₹ 3,60,000/- / ₹ 10000/-

ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : 20.12.2025 को दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक "https://www.Indianbank.in & https://www.baanknet.com"

बोलीदाताओं को ऑनलाईन बोली में भाग लेने के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता **पीएसबी एलयांस प्रा.लि.** की वेबसाईट **(https://www.baanknet.com)** पर जाने की सलाह दी जाती है। तकनीकी सहायता के लिए कृपया **पीएसबी एलयांस प्रा.लि.** हेल्पडेस्क नं. 8291220220, इ-मेल आई **support.baanknet@psballiance.com** एवं सेवा प्रदाता हेल्पडेस्क में उपलब्ध अन्य हेल्प लाईन नंबरों पर कॉल करें। **पीएसबी एलयांस प्रा.लि.** के साथ पंजीकरण की स्थिति के लिए, कृपया **(https://www.baanknet.com)** पर संपर्क करें और ईएमडी की स्थिति के लिए कृपया **(https://www.baanknet.com)** पर संपर्क करें।

संपत्ति विवरण और संपत्ति की तस्वीर व नीलामी के नियम व शर्तों के लिए कृपया **(https://www.baanknet.com)** देखें एवं इस पोर्टल से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए, कृपया हेल्पलाईन नं. 8291220220 पर संपर्क करें।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि **(https://www.baanknet.com)** की वेबसाईट में संपत्ति की खोज करते समय उक्त उल्लेखित संपत्ति आईडी नम्बर का उपयोग करें।

स्थान: देवास, दिनांक : 03.12.2025 प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक